



रजिनाबा एवं आपसी सहमती नहीं बनने पर  
पत्रावली न्यायालय में दिनांक ०८.०३.२२  
को पेश हो।

8-2-22

आज यह पत्रावली वादी के वकील के पार्थना  
पत्र पर तलब होकर पेश हुई। पार्थना पत्र  
में वादी ने निवेदन किया है कि वादी को  
वाद नहीं चलाना चाहते हैं। बाद पत्र मोट  
प्रेस में स्वारिज किया जावे। वकील वादी की  
बेहिस सुनी गई। प्र.पत्र का अवलोकन किया।  
वादी का प्र.पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी  
का बाद मोट प्रेस में स्वारिज किया जाता है।  
पत्रावली फेसत्र शुमार होकर नम्बर संकम  
हो। बाद शीत दारिबल दफतर हो।

Not  
press  
निर्मित  


  
उपखण्ड अधिकारी  
मीराना (अलवर) राज.

